न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2020(रसद) **(GCMS 2020/00279)**	**27.07.2020**	**12.04.2022**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. रामाशंकर पिता रायबहादुर राजपूत उम्र 37 साल निवासी गांगपुर थाना रोहनिया जिला बनारस उत्तर प्रदेश
2. सुरेश पिता उदयराम अहीर उम्र 40 निवासी जोजरों का खेडा थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार

विपक्षीगण

उपस्थिति :–	प्रवर्तन अधिकारी	पैरोकार सरकार
	ललित लढा	अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2
	बीएल पोखरना	अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थानाधिकारी गंगरार द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.03.2020 को पुलिस उप अधीक्षक दलपतसिंह को जरिये मुखबिर सूचना मिली की नेशनल हाईवे रोड 79 पर एक टैंकर जिसके नम्बर एम.एच.43 जीबी 3449 के अन्दर भरे ऑयल निकाल रहा है। यह ऑयल सांवरिया जी होटल के पीछे कन्हैयालाल काकाणी के बाडें में से निकाल रहे है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिसा उप अधीक्षक दलपतसिंह मय जाप्ता हाईवे रोड स्थित टोल नाके की नाकाबंदी की व ऑयल सांवरिया जी होटल के पीछे कन्हैयालाल काकाणी के बाडे में दबिश दी तो मौके पर 75 ड्रम पाये गये व वाहन संख्या एम.एच.43 बीजी 3449 भी मौके पर मिला। मौके पर टैंकर ड्राईवर से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामाशंकर पिता राजबहादुर निवासी गांगपुर पुलिस थाना रोहनिया जिला बनारस यू.पी. व उसने बताया कि हम चोरी छुपे ऑयल व केमिकल पदार्थ बेचते है। मौके पर टैंकर व ड्रमों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किया तो कुल 75 ड्रम जब्त किये व भरा हुआ टैंकर में 24000 लीटर ऑयल मिला। मौके पर सभी जब्त ड्रमों व अन्य सामग्री के नमूने लिये गये व कृत्य करने वालों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई व रामा शंकर पिता राज बहादुर निवासी गांगपुर पुलिस थाना रोहनिया जिला बनारस यू.पी., सुरेश चन्द्र पिता उदयराम अहीर निवासी जोजरों का खेडा पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध मुकद्मात दर्ज किया गया। इस कृत्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अतः निवेदन है कि जब्तशुदा वाहन नंबर एम.एच.43 बीजी 3449 जिसमें ऑयल भरा हुआ व 75 ड्रम व एक ड्रम ऑयल भरे हुऐ है। राजसात कराने का श्रम करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 08.09.2020 को विपक्षी संख्या 1,2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 3 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 03.07.2020 को प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुरा हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम सहपठित धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 119/2020 दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुरा हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार ने निवेदन किया गया कि पुलिस थाना गंगरार ने प्रार्थी के 75 ड्रम केमिकल फोर वाशिंग परपजेज लिक्वीड के रूप में भरे हुए जब्त किये है जो पुलिस थाना गंगरार अन्तर्गत पुलिस चौकी साडास के बाहर खुले मैदान में धूप में उक्त 75 ड्रम लिक्वीड भरे हुए पडे हैं जिनके खराब हो जाने व असुरक्षित रहने की पूरी संभावना है। उक्त 75 ड्रम केमिकल धूप में पडे पडे फट सकते है और उक्त ड्रमों में भरा हुआ केमिकल फोर वाशिंग परपजेज खराब हो सकता है। उक्त लिक्वीड किसी भांति पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ही नहीं। उक्त 75 ड्रम में जो केमिकल फोर वाशिंग परपजेज भरा हुआ है उस 75 ड्रम लिक्वीड के बिल संलग्न है जो में मां डिगार्डी केमिकल्स कस्सर्न के नाम से है जिनके बिलों की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त माल के सेम्पल फोरेसिंक लेबोरेट्री में जांच हेतु पुलिस थाना गंगरार द्वारा ले लिये गये है। इस कारण पुलिस थाना गंगरार को उक्त 75 ड्रम की तफशीश में आवश्यकता नहीं है और प्रार्थी के उक्त माल पुलिस थाना गंगरार की अभिरक्षा में होने के कारण प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है और यह माल पेरिसेबल आर्टिकल (नष्ट होने योग्य) पदार्थ होने के कारण प्रार्थी को सिपुर्दगी में दिया जाना या उक्त माल को पुलिस थाना गंगरार के माध्यम से सार्वजनिक रूप में निलामी कर राशि जमा कर दिया जाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायोचित है। ताकि प्रार्थी को आर्थिक नुकसान न हो। यदि उक्त जप्तशुदा माल प्रार्थी को सिपुर्दगी में दिया जाता है तो प्रार्थी उक्त माल की बिल राशि के अनुसार मोतबीर जमानत मूचलका दाखिल करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 077/2020 थाना गंगरार अनवान सरकार बनाम सुरेश आदि में जप्तशुदा माल 75 ड्रम केमिकल फोर वाशिंग परपजेज को प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रोपराईटर मैसर्स मां डिगार्डी केमिकल्स को सिपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें या उक्त माल को पुलिस थाना गंगरार के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निलामी कर राशि जमा करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण संख्या 119/2020 में न्यायालय आदेश दिनांक 27.10.2021 से प्रकरण में प्रज्जवलन तापांक के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त किये जाने बाबत् आदेश दिया गया। पुलिस थानाधिकारी गंगरार की और से प्रकरण में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाल उदयपुर के पत्रांक/क्षे.वि.वि.प्र./उ.पु./2022/42 दिनांक 17.01.2022 की प्रति प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

हस्तगत दोनो प्रकरणों के पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा दिनांक 03.03.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 077/2020 में जप्तशुदा माल के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति उक्त दोनो में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दोनो में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

पुलिस थाना गंगरार ने प्रार्थी के 75 ड्रम केमिकल फोर वाशिंग परपजेज लिक्वीड के रूप में भरे हुए जब्त किये है जो पुलिस थाना गंगरार अन्तर्गत पुलिस चौकी साडास के बाहर खुले मैदान में धूप में उक्त 75 ड्रम लिक्वीड भरे हुए पडे है जिनके खराब हो जाने व असुरक्षित रहने की पूरी संभावना है। उक्त 75 ड्रम केमिकल धूप में पडे पडे फट सकते है और उक्त ड्रमों में भरा हुआ केमिकल फोर वाशिंग परपजेज खराब हो सकता है। उक्त लिक्वीड किसी भांति पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ही नहीं। उक्त 75 ड्रम में जो केमिकल फोर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाशिंग परपजेज भरा हुआ है उस 75 ड्रम लिक्वीड के बिल संलग्न है जो में मां डिगार्डी केमिकल्स कस्सर्न के नाम से है जिनके बिलों की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त माल के सेम्पल फोरेसिंक लेबोरेट्री में जांच हेतु पुलिस थाना गंगरार द्वारा ले लिये गये है। इस कारण पुलिस थाना गंगरार को उक्त 75 ड्रम की तफशीश में आवश्यकता नहीं है और प्रार्थी के उक्त माल पुलिस थाना गंगरार की अभिरक्षा में होने के कारण प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है और यह माल पेरिसेबल आर्टिकल (नष्ट होने योग्य) पदार्थ होने के कारण प्रार्थी को सिपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित हैं। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2021 का अवलोकन कराया एवं एवं बताया की जप्तशुदा में किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होकर Cerol,Phenol व Glycerol है। जिनके प्रज्जवलन तापांक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर की रिपोर्ट अनुसार क्रमशः 81^0 C, 79^0 C व 160^0 C है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आते है। अतः उक्त दिनांक 03.03.2020 को प्रकरण में जप्तशुदा 75 ड्रम मय माल के प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रोपराईटर मैसर्स मां डिगार्डी केमिकल्स को सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिलो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया। ई-वे बिलों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को पूर्णतया से साबित कराये जाने में असफल रहे है कि पुलिस थानाधिकारी गंगरार द्वारा दिनांक 03.03.2020 को जप्तशुदा उक्त 75 ड्रम में जो पदार्थ है वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है जबकि विपक्षी द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि प्रकरण में दिनांक 03.03.2020 को जप्तशुदा 75 ड्रमों के किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोलियम पदार्थ नही होना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी को हो ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्तशुदा 75 ड्रमों जिनमें भरे हुए केमिकल फोर वाशिंग परपजेज को प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुरा हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रोपराईटर मैसर्स मां डिगार्डी केमिकल्स को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रकरण जप्तशुदा शेष अन्य सामग्री को राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गंगरार द्वारा दिनांक 03.03.2020 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 076/2020 में जप्तशुदा 75 ड्रमों जिनमें भरे हुए केमिकल फोर वाशिंग परपजेज को प्रार्थी हरदेव पिता सुखराम नैन बिश्नोई उम्र 47 वर्ष निवासी नैणों की ढाणी चिरढाणी तहसील पिपाड शहर जिला जोधपुर हाल मुकाम सोनियाण पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रोपराईटर मैसर्स मां डिगार्डी केमिकल्स को सिपुर्द किया जावे एवं प्रकरण में जप्तशुदा शेष सामग्री जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय की मूल प्रति पत्रावली संख्या 011/2020 (अपील रसद) उनवानी सरकार बनाम रामाशंकर वगैराह में रखी जावें एवं प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 119/2020 (रे.वि.) उनवानी हरदेवराम बनाम सरकार वगैराह में रखी जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **12.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official